न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–323/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/323

अपीलाण्ट :–

अभिजीतसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी, कौम राजपुरोहित निवासी कुआरडा तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी कुआरडा तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
2. छेलकंबर पुत्री हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी कुआरडा तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)
3. निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित निवासी कुआरड तहसील आहोर जिला जालोर (राज)
4. उषारानी पत्नि हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, c/o शंकर राजपुरोहित, ई 501. कर्णावटी एपार्टमेंट–2 लांबा नारोल, अहमदाबाद (गुजरात)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अपील बनाराजगी निर्णय प्रकरण संख्या 03/2021 दिनांक 19/04/2021 बइजलास तहसीलदार आहोर

उपस्थिति :–
1. श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री दौलत मकवाना,श्री मो.शरीफ काजी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 26.12.2024

1. न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण संख्या 03/2021 आदेश दिनांक 19.04.2021 बअनवान महेन्द्रसिह बनाम छैलकंवर वगैरा में पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

तहसील आहोर, मौजा कुआरडा में खसरा नंबर 47, 62, 95. 210, 232, 746, 5/825 की खातेदारी श्री हिम्मतसिंह पुत्र चतुर्भुजसिह राजपुरोहित, निवासी कुआरडा के नाम आयी हुई थी। श्री हिम्मतसिंह का दिनांक 30/03/2020 को स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके अपीलांट व रेस्पोडेंटस नं. 1 लगाय 4 वारिशान हैं।

अपीलांट के द्वारा पटवारी को हिम्मतसिंहाली की मृत्यु को लेकर उनके वारिशानों के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र दिया लेकिन पटवारी के द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू न कर टालमटोली करने लगा तथा पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी ने आपस में मिलावट कर ली तथा ग्राम विकास अधिकारी ने हिम्मतसिंहजी के वारिशान के संबंध में गलत प्रमाण पत्र जारी किया जबकि अपीलांट के द्वारा सरपंच से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 4 को बतौर वारिशान होना प्रमाण पत्र में उल्लेखित हैं इसके अलावा श्री हिम्मतसिंह ने बैंक के खाते में उषारानी को नोमिनी बनाया गया है जिसका भी दस्तावेज पेश है। इस प्रकार हिम्मतसिंह के कुल पांच वारिश होना स्वीकृत तथ्य है। अपीलांट को रेस्पोडेंट नं. 3 के द्वारा जोधपुर के न्यायालय में एक दावा लगाने की जानकारी भी अभी हुई हैं जिसमें हिम्मतसिंह के पांच वारिशान होना उल्लेखित हैं।

रेस्पोडेंट नं. 1 लगाय 3 ने हिम्मतसिंह ऊपर वर्णित खसर नंबर की आराजी को हड़प करने के लिये आपस में मिलावट कर रेस्पोडेंट नं.1 महेन्द्रसिंह से आवेदन पेश करवाया। ग्राम विकास अधिकारी से वारिशानों का गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया एवं गांव के मिलने वाले व्यक्ति के झूठे शपथ पत्र पेश करवाये तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 4 को हिम्मतसिंह के वारिश होना नहीं बताया। जबकि अपीलांट का व रेस्पोडेंट नं. 4 का क्रमश 1/5, 1/5 खातेदारी हक बनता हैं। रेस्पोडेंट नं. 5 तहसीलदार ने आपत्ति इश्तिहार जारी करना पत्रावली में बताया है लेकिन आपत्ति इश्तिहार भी जारी होना नहीं पाया जा रहा है। महेन्द्रसिंह रेस्पोडेंट नं. 1 ने अपना झूठा शपथ पत्र पेश किया। और झूठे शपथ पत्र में हिम्मतसिंह के केवल तीन वारिशान होना बताया जो प्रथमदृष्टया ही गलत हैं। यहां यह लिखना उचित हैं कि श्री हिम्मतसिंह का स्वर्गवास अहमदाबाद में हुआ था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया तथा वास्तविक वारिशानों के संबंध में जांच तक नहीं की जो प्रावधानों के विपरित हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र महेन्द्रसिंह, शैलेन्द्रसिंह, जालमसिंह, नैनसिंह व डूंगरसिंह वगैराह के शपथ पत्र झूठे हैं और उक्त शपथ पत्र पेशकर्ता रेस्पोडेंट नं. 1 में रूचि रखने वाले व्यक्ति हैं जबकि पटवारी हल्का कुआरड़ा को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि श्री हिम्मतसिंह के पांच वारिशान है तथा अपीलांट के द्वारा म्यूटेशन

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

26/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

भरने के संबंध में आवेदन भी कर रखा है लेकिन पटवारी ने मिलावट कर तहसीलदार के समक्ष सही तथ्य उजागर नहीं किया तथा तहसीलदार ने भी पटवारी से रिपोर्ट नहीं मंगवाई हैं जो कानून का उल्लघंन हैं। उपरोक्त आधारों पर रेस्पोडेंट नं. 5 के द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 19/04/2021 निरस्त करने योग्य हैं तथा उसके आदेश की पालना में यदि म्यूटेशन कर दिया हैं तो उसे निरस्त करना न्यायसंगत हैं।

दिनांक 20/04/2021 से राज्य सरकार के आदेश से कोविड़–19 को लेकर लॉक डॉउन प्रभावी हो गया था जो लॉक डॉउन दिनांक 28/06/2021 तक प्रभावी हैं। अपीलांट को दिनांक 06/06/2021 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तब अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 07/06/2021 को नकल का आवेदन किया जो नकल दिनांक 10/06/2021 को प्राप्त हुई तथा जानकारी से एक माह के भीतर अपीलांट के अपील पेश करने की म्याद हैं तथा माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने भी लॉक डाउन अवधि को बढ़ाया हैं जिससे अपील अन्दर म्याद हैं। लॉक डाउन अवधि में अधिवक्ता एवं पक्षकारों की उपस्थिति नहीं होने का भी माननीय राजस्व मंडल अजमेर का परिपत्र हैं।

अपीलांट के विद्वान वकील द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्न विधिक दृष्टांत पेश किये–

1. 2000SAR(civil)778 Para 15 & 18 admission – forming basis of judgement
2. 77SC 1724 admission Burden shift on person who made admission that admission is wrong.
3. 1997 RRD 177

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19/04/2021 को निरस्त करावे एवं अधिनस्थ न्यायालय को सही जांचकर अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 4 के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

मौजा कुआरडा तहसील आहोर जिला जालोर में वर्तमान खसरा नम्बर 47, 62, 91, 210, 232 746, 5/825 की कृषि भूमि प्रार्थी के पिता हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह राजपुरोहित निवासी कुआरडा के नाम दर्ज है। अप्रार्थी के पिता हिम्मतसिंह पुत्र का देहान्त दिनांक 30.03.2020 को हो चुका है। हिम्मतसिंह के वारीसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण है। इनके अलावा कोई वारीस नहीं है। केवल मृत्यु अहमदाबाद होने के कारण हल्का पटवारी फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भर रहे है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर ने नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 के पिताजी हिम्मतसिंह के स्थान पर उनके वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमावे। मृतक हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह के नाम मौजा कुआरडा में दर्ज खसरा नम्बर 47, 62, 91, 210, 232, 746 5/825 में नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत राष्ट्रीय अखबार दैनिक नव ज्योति के संस्करण में छाया करवाकर आपत्ति चाही गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा काफी लम्बे समय तक जवाब आदि पेश नहीं किये। महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार हिम्मतसिह पुत्र चर्तुभुजसिंह की

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

26/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यु के पश्चात उनके पीछे वारीसान महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंह एवं छैलकंवर पुत्री हिम्मतसिंह है। दो उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमे हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह के वारीसान महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंह एवं चौलकंवर पुत्री हिम्मतसिंह बताया गया है। ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह के वारीसान महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंह एवं छैलकार पुत्री हिम्मतसिंह बताया गया है। नैनसिंह पुत्र राजपुरोहित, जालमसिह पुत्र लादूसिह राजपुरोहित का शपथ पत्र एवं डूंगरसिंह पुत्र जोगसिंह कौम राजपुरोहित का शपथ पत्र पेश किये गये जिसमे बताया गया है कि हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह को हम सभी अच्छी तरह से जानते थे। उनके नाम ग्राम कुआरडा में कृषि भूमि आई हुई है। हिम्मतसिंह की मृत्यु दिनांक 30.03.2020 को हो चुकी है। उनके पीछे उनके वारीसतान महेन्दसिंह पुत्र हिम्मतसिंह निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंह एवं छैलकंवर पुत्री हिम्मतसिह है। इनके अलावा कोई अन्य वारीसान नहीं है। नवज्योति अखबार में दिनांक 22.02.2021 को प्रकाशित सार्वजनिक आम सूचना में हर आग व खास को सूचित किया गया है।जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उजर एतराज पेश नहीं किया गया।इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार के अन्तर्गत अपने पिता की मृत्यु होने पर उनके नाम दर्ज कृषि भूमि में फौतेदगी का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु समस्त दस्तावेज पेश किये गये थे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय न्याय एवं विधी संगत होने से अपील खारीज फरमाई जावे।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने उपरोक्त कथन के संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1990 पेज सं. 479, आरआरटी 2018–19 सपीमेन्टजी पेज सं. 581,आरआरटी 2003 पेज नंबर 1176, आर आर टी 2003(1) पेज नंबर 650 प्रस्तुत किये गये।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि–

I. तहसीलदार आहोर ने अपीलाधीन प्रकरण में पत्रावली प्रार्थी (रेस्पोडेण्ट) महेन्द्रसिह के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 17.02.2021 को दर्ज की है, जबकि इससे पूर्व प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार अभिजीतसिह द्वारा दिनांक 07.12.2020 को ही पटवारी हल्का को अपने विरासतन पक्ष के समर्थन में समस्त दस्तावेज यथा मृतक हिम्मतसिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसो का विवरण इत्यादि पटवारी हल्का को प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया है। इन दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2020 का तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 में कही भी उल्लेख नही है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह तथ्य पटवारी द्वारा तहसीलदार को अवगत नही कराये गये थें। साथ ही इसी न्यायालय तहसीलदार की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वारिसो की जांच बाबत भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट नही ली गई, जो कि प्रकरण में आवश्यक थी। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट अभिजीतसिंह के विरासत कथन बाबत् तहसीलदार द्वारा समुचित जॉच नही की गई।

II. प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा एक सिविल वाद जो जिला एवं सेशन न्यायालय महानगर जोधपुर में निर्दोषसिह (रेस्पो.3) द्वारा प्रस्तुत किया गया है की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत हुई है जिसके अनुसार रेस्पोडेण्ट निर्दोषसिह ने अपीलाण्ट अभिजित सिंह एवं उसकी माता रेसपो. स. 4 उषा रानी को मृतक हिम्मतसिह का वारिस माना है। साथ ही मृतक हिम्मतसिह की राजकीय सेवानिवृति पर पेशंन भी रेस्पो. स. 4 उषारानी को मंजूर होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह समस्त तथ्य मृतक हिम्मतसिह के जायज वारिसान की जांच के समय ध्यान में रखने जाने योग्य है। अतः विधिक वारिसानो की पुनः जांच करवाई जाना आवश्यक है।

III. विधि का यह सिद्वांत भी सुस्थापित हो चुका है कि संतान के जायज अथवा नाजायज होने से वारिसान के हको पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है, बशर्ते कि पक्षकार के मृतक पिता /माता की संतान होना प्रमाणित हो। इस प्रकरण में भी रेस्पोडेण्ट निर्दोष सिंह द्वारा उक्त वर्णित सिविल वाद में अपीलांट अभिजित सिंह का मृतक हिम्मत सिंह का वारिस होने का स्वीकारोक्ति ADMISSION है। इस संदर्भ में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधिन आंदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं।

IV. उक्त प्रकरण के आलोक में राजस्व प्रशासन के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा विधिक प्रकरणों में प्रकरणों के निस्तारण में की जाने वाली लापरवाही बाबत् प्रशासनिक समीक्षा भी की जानी आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रावली दर्ज करने से लेकर त्रुटिपूर्ण निस्तारण को प्रशासनिक दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय में कही भी अंकित नही किया गया है कि नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण किस नियम या अधिनियम के तहत सुना जा रहा है। हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में पटवारी हलका को दिनांक 07.12.2020 को प्रार्थना पत्र का क्या निस्तारण किया गया ? एवं प्रकरण में यदि पटवारी हलका से रिपोर्ट ली जाती हैं तो दिनांक 07.12.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नजरअदांज नही किया जा सकता था। पत्रावली में न ही प्रार्थी, अप्रार्थी एवं हल्का पटवारी के नाम के नोटिस पर तामील/अदम तामिल की कोई टिप्पणी अंकित नही है । तहसीलदार आहोर द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। पटवारी को नोटिस के द्वारा सुचित (तामील) ही नही हुआ है कि प्रकरण में क्या सूचना देनी है। जबकि तहसीलदार, आहोर ने अपने निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

में लिखा है कि पटवारी हल्का निम्बला से हिम्मतसिह वल्द चर्तुभुजसिह के वारीसानो की सूची मंगवाई गई तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपिया मंगवाई गई। तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी निम्बला द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड पत्रावली में शामिल होना चाहिए था परन्तु उक्त रेकर्ड नही है। अखबार में प्रकाशन की स्थिति तब पैदा होती है जब बार–बार नोटिस जारी होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही हो रहे है। ग्राम विकास अधिकारी, निम्बला एवं सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बला के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में भी भिन्नता है। इस प्रकार ऐसा प्रतित होता है कि तहसीलदार आहोर द्वारा नियमो की अनदेखी करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही देकर पत्रावली का निस्तारण करके प्रार्थी रेसपोडेंट महेन्द्र सिंह को अनुचित फायदा पहुचातें हुए पक्षकारों के मध्य अकारण ही लिटिगेसन को बढावा दिया गया है। प्रकरण में अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार नही सुना गया। इस प्रकार की प्रकिया को अपनाना न्यायिक प्रकिया एवं लिटिगेशन को बढाने की होती है। इस प्रकरण में जिला कलक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है प्रशासनिक स्तर पर भी प्रकरण के पत्रावली एवं उससे जुडे हुए तथ्यों के आलोक में तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय की विस्तृत जांच उपखण्ड अधिकारी के स्तर जांच करवाई जावे। एवं दोषी पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। तकि भविष्य में इस प्रकार से फाल्स लिटिगेशन नही बढे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण सं. 03/2021 निर्णय दिनांक दिनांक 19.04.2021 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, आहोर को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं जिला कलक्टर जालोर प्रकरण मे दोषी अधिकारी/कामिकों के विरूद्व भी कार्यवाही सुनिश्त करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner